

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
पत्रांक- 1652/ कासगांज/31078/2017, दिनांक, लखनऊ, फरवरी 18, 2019

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2,
लखनऊ।

विषय : कासगांज में पीलीभीत-बरेली-मथुरा मार्ग (एस0एच0-33) किमी0 चैनेज 134.0222 की दायीं पट्टरी पर ग्राम-मानपुर नगरिया के खसरा सं0-489 पर बी0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.094768 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर गानिकी प्रयोग की अनुमति।

सन्दर्भ: उ0प्र0 शासन की पत्र संख्या-पी-84/14-2-2018-800(75)/2018 दिनांक 16.04.2018
महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। उ0प्र0 शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में वांछित सूचना/अभिलेख वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ ने अपने पत्रांक-2607/14-1, दिनांक 06.02.2019 द्वारा इस कार्यालय को प्रेषित किया है।

अतः वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ के पत्र दिनांक 06.02.2019 की छायाप्रति सहित सूचना/अभिलेख दो प्रतियों में इस आशय से संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है कि कृपा विषयगत प्रकरण में आवश्यक अग्रोत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:उपरोक्तापुसार।

भवदीय,
15/2
(पंकज मिश्र)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक - 1652 / कासगांज / 31078 / 2017, उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि-निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय वनाधिकारी, कासगांज वन प्रभाग, कासगांज।
- 3- प्रादेशिक प्रबन्धक(रिटेल), बी0पी0सी0एल0, प्लाट डी-1, रोड नं0-26 इंडस्ट्रियल एरिया, पो0-रिकाइनरी, मथुरा।

15/2
(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।